संख्या-11/2015/ए-1-478/दस-2015-3(2)/2000

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, उ0प्र0,
1018 जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ - दिनांक - 19 जून, 2015**

विषय :- कोषागारों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के वेतन बिल कम्प्यूटर जनरेटेड नवीन वेतन देयक प्रपत्र संख्या (101) पर तैयार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोषागारों द्वारा सरकारी कर्मचारियों का डेटाबेस एवं वेतन बिल बनाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-ए-1-1367/दस-2003-3(2)/2000, दिनांक 15-10-2003, शासनादेश संख्या-ए-1-2000/दस-2003-3(2)/2000, दिनांक 10-12-2003 एवं शासनादेश संख्या-एस-3-1403/दस-2010-134(20)/2010, दिनांक 07-09-2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जनपद के समस्त सरकारी कर्मचारियों का डेटाबेस कोषागारों में बनाया जायेगा तथा उसका उपयोग वेतन बिल बनाने में किया जायेगा।

2- वर्तमान व्यवस्था में आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा वेतन बिल के साथ समस्त शिड्यूलो को संलग्न कर प्रिन्टिंग प्रेस द्वारा छपे हुए वेतन देयक प्रपत्र संख्या (101) की कवरिंग पर समस्त इंट्री को भरकर जिसमें अनुदान संख्या, लेखाशीर्षक व बजट की स्थिति के साथ-साथ बिल की सम्पूर्ण धनराशि, कटौती की धनराशि एवं शुद्ध धनराशि की मैनुअल इंट्री के उपरान्त कोषागार में भेजा जाता है एवं कोषागारों द्वारा ई-पेमेण्ट व्यवस्था के अन्तर्गत आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बिलों के पारणोपरान्त टोकन नम्बर आवंटित किया जाता है, जिसके आधार पर आहरण-वितरण अधिकारी धनराशियों को सम्बन्धित प्राप्तकर्ताओं के बैंक खातों में स्थानान्तरित करते हैं। भुगतानोपरान्त कोषागारों में प्रस्तुत बिल महालेखाकार को लेखे के साथ प्रेषित कर दिया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि अब सभी राज्य कर्मचारियों के वेतन बिल कोषागारों में तैयार किये जायेंगे तथा प्रिन्टिंग प्रेस में छपे वर्तमान वेतन देयक प्रपत्र संख्या (101) के स्थान पर अब कम्प्यूटर द्वारा जनरेटेड वेतन बिल प्रपत्र संख्या (101) प्रयोग में लाये जायेंगे। कम्प्यूटर द्वारा वेतन बिल जनरेट करने एवं पारण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(1) राज्य कर्मचारियों के वेतन देयक कोषागारों में एन0आई0सी0 द्वारा डेवलप्ड साफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किये जायेगें तथा वर्तमान वेतन देयक प्रपत्र-101, जो प्रिन्टिंग प्रेस में छपता है, के स्थान पर कम्प्यूटर द्वारा जनरेटेड वेतन देयक प्रपत्र प्रयोग में लाये जायेगें।

(2) समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख की स्थिति के अनुसार वेतन बिल में हुये परिवर्तनों का एक चेंज स्टेटमेण्ट माह की 23 तारीख तक कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) सम्बन्धित कोषागार द्वारा आहरण वितरण अधिकारी से प्राप्त चेंज स्टेटमेण्ट के आधार पर वेतन बिल में परिवर्तन करते हुये वेतन देयक प्रपत्र 101, इनरशीट एवं समस्त शिड्यूल्स विलम्बतम् माह की 25 तारीख तक आहरण-वितरण अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वेतन देयक का परीक्षण किया जायेगा और यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो उसे कोषागार को पुन: संशोधन हेतु भेजा जायेगा।

(5) अन्तिम रूप से सही पाये गये वेतन देयकों को आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करते हुए पारण हेतु कोषागार को विलम्बतम् माह की 28 तारीख तक प्रेषित कर दिया जायेगा।

(6) कोषागार द्वारा नियमानुसार बिल पारण की कार्यवाही करते हुए वेतन की धनराशि सम्बन्धित कार्मिक के बैंक खाते में इलेक्ट्रानिकली निर्धारित तिथि को स्थानान्तरित कर दी जायेगी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 01 अगस्त, 2015 से देय वेतन जो माह सितम्बर, 2015 में देय होगा, से लागू होगी तथा समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि माह अगस्त के वेतन बिल सभी आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा कम्प्यूटर जनरेटेड वेतन बिल प्रपत्र संख्या (101) पर ही कोषागारों में प्रस्तुत किये जायें। माह अगस्त का जो लेखा महालेखाकार को भेजा जायेगा, उसमें प्रिण्टिंग प्रेस द्वारा छपे वेतन देयक प्रपत्र (101) के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्थान पर उपरोक्तानुसार तैयार कम्प्यूटरजनित वेतन देयक प्रपत्र (101) का ही प्रयोग किया जायेगा, जिसमें वेतन के विवरण के साथ-साथ समस्त शिड्यूल संलग्न होंगे।

4- यह आदेश महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या-टी0एम0-1/एम0एम0पी0/408, दिनांक 04 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहें हैं।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-11/2015/ए-1-478(1)/दस-2015-3(2)/2000, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2- सचिव, वित्त, वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उ0प्र0, 148-जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना, विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) उ0प्र0 योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।